पत्रांक–15 / डी0एल0ए0–पटना (रा0उ0प0)–11 / 13 786 / रा0

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)
अधिसूचना

पटना, तारीख 8/3/13

सं.......................................रा0 चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–सैदपुर, थाना नं0–14, सर्वे थाना–मसौढ़ी, परगना–मनेर, जिला–पटना में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् बिहटा–सरमेरा राज्य उच्च पथ सं0–78 के निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसलिए, इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम–सैदपुर, थाना नं०–14 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम–वेश 1.30 एकड़ के बराबर होता है और जिसका सर्वे खेसरा संख्या–176 अंश, 192 अंश, 203 पूर्ण, 216 अंश, 433 अंश, 531 अंश एवं 536 अंश भाग है और जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है–

उत्तर	:	खेसरा संख्या–176 अंश, 192 अंश, 202 अंश, 215 अंश, 218 अंश, 444 अंश, 532 अंश, 533 अंश, 534 अंश एवं 535 अंश
पूरब	:	खेसरा संख्या–177 अंश, 194 अंश, 204 अंश, 217 अंश, 432 अंश, 536 अंश एवं 422 अंश
दक्षिण	:	खेसरा संख्या–202 अंश, 444 अंश, 443 अंश, 531 अंश एवं 536 अंश
पश्चिम	:	खेसरा संख्या–168 अंश, 191 अंश, 444 अंश, 214 अंश, 434 अंश, 529 अंश, 530 अंश एवं 531 अंश

यह अधिसूचना, अधिनियम 1, 1894 की धारा 4 के उपबंधों के अधीन जैसा कि बिहार अधिनियम 11 सन् 1961 द्वारा संशोधित हुआ है उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा भू–अर्जन पदाधिकारी पटना के कार्यालय में देखा जा सकेगा। बिहार सरकार जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से संबद्ध प्रारम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे **उप महाप्रबंधक, तकनीकी परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, बिहार स्टेट डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लि0, बिहारशरीफ**, के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

उक्त अधिनियम की धारा 17 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निश्चय किया है कि परियोजना की शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5A के उपबंध लागू नहीं होगें।

समाहर्त्ता
पटना।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के अवर सचिव

E/BSRDC/BAKAST ONLY/ADHISOOCHNA

ज्ञापांक संख्या–15 / डी0 एल0 ए0 पटना–(रा0उ0प0)–11 / 13–786/रा.दि0– 08-03-13

प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, समाहरणालय, पटना को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 3. आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 4. समाहर्त्ता / अपर समाहर्त्ता तथा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 5. आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

6/3/13

(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।